प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: **माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश और**

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील संख्या 1263/1996

होरीलाल

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

(संबंधित दाण्डिक अपील संख्या 1228/1996)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा,
न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूं

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

निर्णय हेतु 11/07/2012 को सूचीबद्ध करे

सही/
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश और

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील संख्या 1263/1996

अपीलार्थी संतन सिंह राठौर पिता होरिलाल, उम्र लगभग 23 वर्ष किसान और निवासी गांव मझगांव, पुलिस स्टेशन लोरमी , जिला बिलासपुर ।

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

दाण्डिक अपील संख्या 1228 वर्ष 1996

अपीलार्थी गोकुल सिंह पिता संतान सिंह राठौर, उम्र लगभग 28 वर्ष, किसान और निवासी ग्राम मझगांव, पुलिस थाना जिला बिलासपुर लोरमी।

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत दाण्डिक अपीलें)

उपस्थिति: अपीलार्थी की ओर से सुश्री निरुपमा बाजपेयी, अधिवक्ता ।

श्री जे.ए. लोहानी, राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता।

निर्णय

(11.07.2012)

न्यायालय का निर्णय सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा उद्घोषित किया गया।

(1) ये अपीलें बिलासपुर लिंक कोर्ट- मुंगेली के चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 282/91 में दिनांक 25 जुलाई, 1996 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त निर्णय में अपीलकर्ता होरीलाल (ए-1) को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के

तहत सिद्ध दोष ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है; तथा दूसरे अपीलार्थी गोकुल सिंह (ए-2) को धारा 201 भारतीय दंड संहिता के तहत सिद्ध दोष ठहराया गया है और 3 वर्ष के सक्षम कारावास तथा 1,000/- रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है, जुर्माना न चुकाने जाने के व्यतिक्रम पर 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा दी जाएगी।

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:-

दोनों अपीलार्थी मृतक हीरासिंह के सगे भाई हैं। 5 अप्रैल 1991 को रात लगभग 8 बजे, अपीलार्थी हीरालाल (ए-1) ने पारिवारिक विवाद के चलते मृतक हीरासिंह पर कलारी (लकड़ी के हैंडल वाला लोहे का कृषि उपकरण) से एक ही प्रहार किया। हीरासिंह (मृतक) के बाएं पार्श्विका क्षेत्र में 3 **x** 2 इंच का घाव हो गया। वह बेहोश हो गया। उसे घर में ही रखा गया। अगली सुबह उसे शासकीय अस्पताल, लोरमी ले जाया गया, जहाँ से उसे बिलासपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहाँ इलाज के दौरान तीसरे दिन अर्थात 7 अप्रैल 1991 को उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के साक्षी हीरा सिंह (अ.सा-1) और महारानी बाई (अ.सा-2 - मृतक की पत्नी)थे अभियोजन पक्ष का आगे का मामला यह है कि घटना की एक लिखित रिपोर्ट (एक्स.-पी/20) गोकुल सिंह (ए-2) द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने उल्लेख किया था कि मृतक को गिरने से चोट लगी थी। जांच में पता चला कि यह मानववध थी और मृतक को लगी एकमात्र चोट होरीलाल (ए-1) द्वारा कलारी से पहुंचाई गई थी। होरीलाल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत और गोकुल सिंह (ए-2) पर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत वाद अभियोजित किया गया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने हीरा सिंह (अ.सा-1) और महारानी बाई (अ.सा-2) की गवाही पर अवलंब लेते हुए यह माना कि होरीलाल (ए-1) ने मृतक पर कलारी से हमला किया था, इसलिए होरीलाल (ए-1) भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सजा का पात्र है, और गोकुल सिंह (ए-2), जिसने झूठी लिखित रिपोर्ट दी थी, भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत सजा का पात्र है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री निरुपमा बाजपेयी ने तर्क दिया कि दो भाइयों (ए-1 और मृतक) की पत्नियों के बीच पारिवारिक विवाद के कारण दोनों भाइयों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें ए-1 क्रोधित हो गया और उसने मृतक को एक ही प्रहार किया, इसलिए उसका मृतक की हत्या करने का कोई आशय नहीं था और इस प्रकार, धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध नहीं बनता है और ए-1 किसी कम धारा, अधिमानतः धारा 304 भारतीय दंड संहिता के भाग-**II** के तहत सजा का पात्र होगा। गोकुल सिंह (ए-2) के लिए, उन्होंने तर्क दिया कि यह बिल्कुल भी साबित नहीं हुआ कि गोकुल सिंह (ए-2) ने लिखित रिपोर्ट (एक्स.-पी/20) तैयार की थी; यह भी साबित नहीं हुआ कि उपरोक्त रिपोर्ट उसके द्वारा पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत की गई थी; यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उपरोक्त रिपोर्ट किसने प्राप्त की; यहां तक कि उससे 313 दंड प्रक्रिया संहिता में कोई

प्रश्न भी नहीं पूछा गया है। उक्त रिपोर्ट के बारे में दिए गए बयान के आधार पर, उसे केवल गोकुल सिंह (ए-2) द्वारा कथित रूप से दी गई अप्रमाणित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

(4) दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री जे.ए. लोहानी ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(5) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(6) सबसे पहले हम होरीलाल (ए-1) के मामले की जांच करेंगे।

(7) हीरा सिंह (अ.सा-1) ने गवाही दी कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन रात में उसने देखा कि होरीलाल (ए-1) महारानी बाई (अ.सा-2 मृतक की पत्नी) को गाली दे रहा था। इसके बाद ए-1 ने लाठी लाकर मृतक के सिर पर वार किया। मृतक गिर पड़ा। उस समय गोकुल सिंह (ए-2) वहां मौजूद नहीं था। उसने आगे बताया कि लाठी वास्तव में कलारी थी। अगले दिन मृतक को लोरमी अस्पताल ले जाया गया। लोरमी अस्पताल से उसे बिलासपुर अस्पताल भेजा गया। मृतक की घटना के तीसरे दिन बिलासपुर अस्पताल में मृत्यु हो गई। अपने प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता 6 भाई हैं और अपीलकर्ता होरीलाल (ए-1), मृतक हीरा सिंह और अपीलार्थी गोकुल सिंह (ए-2) सभी एक ही घर में रहते थे।

(8) महारानी बाई (अ.सा-2) मृतक की पत्नी हैं। उन्होंने गवाही दी कि उनकी भैंस ने होरीलाल (अ-1) का चारा खा लिया था। यह बात उनकी भाभी (जेठानी) रुक्मणी बाई ने उनके पति (अ-1) को बताई। इस पर होरीलाल (अ-1) ने उन्हें गाली देना शुरू कर दिया और कहा कि वह उन्हें बिना पीटे नहीं छोड़ेगा। महारानी ने इसका विरोध किया। इस पर होरीलाल अ.सा-1) ने कहा, "क्या उसे महारानी बाई की पूजा करनी चाहिए? वह उसे बिना पीटे नहीं छोड़ेगा।" ये शब्द सुनकर उनके पति (मृतक) उनके सामने आए और कहा कि वह देखेगा कि उनकी पत्नी (महारानी बाई) को उनके सामने कैसे पीटा जाता है। यह कहकर वह होरीलाल (अ.सा-1) के सामने खड़े हो गए। इसके बाद अ-1 एक कलारी लेकर आया और उनके पति (मृतक) के सिर पर एक ही वार किया, जिससे वह गिर पड़े। गोकुल सिंह (अ-2) उनके पति को कमरे में ले गया और उन्हें पलंग पर लिटा दिया। अगली सुबह उनके पति (मृतक) को लोरमी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उन्हें बिलासपुर भेज दिया गया। उन्हें दो-तीन दिन अस्पताल में भर्ती रखा गया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई।प्रतिपरीक्षा के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता छह भाई थे, जिनमें से तीन भाई बंटवारे के बाद अलग रह रहे थे, और दो अपीलकर्ता और उनके पति (मृतक) एक ही घर में साथ रह रहे थे।

(9) हीरा सिंह (अ.सा -1) और महारानी बाई (अ.सा -2) के साक्ष्यों विवेचन के आधार पर, हम पाते हैं कि मृतक की भैंस द्वारा अपीलार्थी (ए-1) की कुछ सामग्री खा लेने के विवाद के कारण परिवार में झगड़ा शुरू हो गया और इस झगड़े में अपीलार्थी - होरीलाल (ए-1) क्रोधित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हो गया, उसने एक कलारी उठाई और मृतक की खोपड़ी पर एक ही प्रहार किया। उपरोक्त तथ्य और परिस्थितियाँ दर्शाती हैं कि अपीलार्थी-होरिलाल (ए-1) ने मृतक की हत्या करने की कोई पूर्वचिंता या पूर्व-नियोजन नहीं की थी, बल्कि वास्तव में, अचानक हुए झगड़े में अपीलार्थी (ए-1) ने मृतक को एक ही प्रहार किया जो घातक सिद्ध हुआ। इससे पता चलता है कि अपीलार्थी (ए-1) का मृतक की हत्या कारित करने का कोई आशय नहीं था। यदि कोई आशय होता, तो अपीलार्थी (ए-1) हथियार लेकर आता और वह बार-बार प्रहार करता, जो उसने नहीं किया। हम यह भी ध्यान देते हैं कि मृतक को रात में कोई उपचार नहीं दिया गया और उसे अगली सुबह अस्पताल ले जाया गया। हम यह भी ध्यान देते हैं कि मृत्यु तात्कालिक नहीं थी और मृतक की मृत्यु तीसरे दिन हुई। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, अपीलकर्ता होरीलाल (ए-1) के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सिद्ध दोष नहीं होता है, क्योंकि इसमें आशय का अभाव है, और होरीलाल (ए-1) भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-**II** के तहत दंड का पात्र होगा।

10) अब हम गोकुल सिंह (ए-2) के मामले पर विचार करेंगे।

(11) गोकुल सिंह (ए-2) को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत इस आधार पर सिद्ध दोष ठहराया गया है कि उसने पुलिस स्टेशन में झूठी लिखित रिपोर्ट (एक्स.-पी/20) प्रस्तुत की थी जिसमें मृतक के गिरने से आहत होने का उल्लेख था। हमने इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच की है। अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा है कि उपरोक्त रिपोर्ट (एक्स.-पी/20) गोकुल सिंह (ए-2) द्वारा संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत की गई थी। हमने पाया कि गोकुल सिंह (ए-2) से उसके दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के बयान में इस संबंध में कोई प्रश्न भी नहीं पूछा गया था। एस.आर. चंद्र (अ.सा -8) तत्समय सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। उन्होंने गवाही दी कि 6.4.91 को रोजनामचासान्हा में एक प्रविष्टि की गई थी जो गोकुल सिंह (ए-2) द्वारा संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी/20) पर आधारित थी। उन्होंने रोजनामचासान्हा के आधार पर अपराध दर्ज किया था। जिस व्यक्ति ने कथित रिपोर्ट प्राप्त की या जिसने रोज़नामचासन्हा में प्रविष्टि की, उससे अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है। इस प्रकार, किसी भी गवाह द्वारा यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि वास्तव में संबंधित पुलिस स्टेशन में कथित रिपोर्ट (प्रदर्श पी/20) किसने प्रस्तुत की; उस रिपोर्ट को किसने प्राप्त किया और यह भी कि रिपोर्ट (प्रदर्श पी/20) या तो गोकुल सिंह (ए-2) द्वारा लिखी गई थी या उस पर गोकुल सिंह (ए-2) के हस्ताक्षर थे। हमारा मत है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, यह सिद्ध नहीं हुआ कि लिखित रिपोर्ट गोकुल सिंह (ए-2) की लिखावट में लिखी गई थी या उस पर उनके हस्ताक्षर थे या गोकुल सिंह (ए-2) ने ऐसी रिपोर्ट संबंधित पुलिस के समक्ष प्रस्तुत/दर्ज की थी। अतः, गोकुल सिंह (ए-2) को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत सिद्धदोष को स्थिर नहीं रखा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12) उपरोक्त कारणों से,अपीलार्थी गोकुल सिंह (ए-2) द्वारा दायर दाण्डिक अपील क्रमांक 1228/96 स्वीकार की जाती है। इस अपीलार्थी को धारा 201 भारतीय दंड संहिता के तहत दी गई सजा और दोषसिद्धि अपास्त की जाती है और उसे उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी होरिलाल (ए-1) द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील क्रमांक 1263/96 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी होरिलाल (ए-1) को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत दी गई सजा और दोषसिद्धि अपास्त की जाती है। इसके स्थान पर, उसे धारा 304 भाग-II भारतीय दंड संहिता के तहत सिद्ध दोष ठहराया जाता है और इस मामले में पहले से भुगती गई अवधि, जो कि लगभग 5 वर्ष है, की सजा सुनाई जाती है।

(13) यह कहा गया है कि दोनों अपीलार्थी जमानत पर हैं। उनके जमानत बंधपत्र निरस्त किये जाते है और जमानतदार उन्मोचित किये जाते है।

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा,

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By- Yogita Naik, Advocate